भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

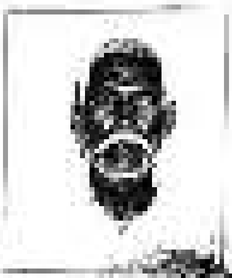

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

प्रतिफल की धनराशि – रु0 3,80,440/-

अग्रिम धनराशि – रु0 3,75,440/-

बकाया धनराशि – रु0 5,000/-

मालियत – रु0 4,27,500/-

अदा किये गये स्टाम्प शुल्क – रु0 30,100/-

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. मौजा बिजनौर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

387284

3. ग्राम – नरौना

4. सम्पत्ति का विवरण– भूमि खसरा संख्या 4034 रकबा 0.190 हेक्टेअर का पूर्ण भाग स्थित ग्राम– नरौना परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की इकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.190 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड से 200 मी0 से अधिक दूर

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

अन्तिम।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 307284

-3-

9. पेड़ों की स्थिति — कोई पेड़ नहीं है।

10. बोरिंग / कुआं अन्य — कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं० 0053</u>

उत्तर	:	खसरा नं० 554,502,591 व अन्य
दक्षिण	:	ग्राम सीमा सरथुला
पूरब		खसरा नं० [illegible]
पश्चिम	:	खसरा नं० 553

नक्शा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 307282

प्रथम पक्ष की संख्या–1 | द्वितीय पक्ष की संख्या–1

प्रथम पक्ष का विवरण	द्वितीय पक्ष का विवरण
[illegible] पुत्र [illegible] निवासी– [illegible], नगर [illegible] [illegible] बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ [illegible] पता [illegible]पुर [illegible], तहसील व जिला लखनऊ	[illegible]लाल पुत्र [illegible] निवासी ग्राम– पूरे [illegible], [illegible], जिला रायबरेली
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H.S. 307280

-5-

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र [illegible] पुत्र [illegible] निवासी– [illegible] नगर [illegible] [illegible] बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ [illegible] पता [illegible] [illegible] तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है। जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं [illegible] सम्मिलित हैं।

एवम्

[illegible] पुत्र [illegible] निवासी [illegible] [illegible] किलोनी, जिला [illegible] जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है जिसके अन्तर्गत

क्रमशः

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 307281

द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं को तथा निर्वाचित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.190 हेक्टेयर का पूर्ण भाग स्थित ग्राम- गहौना, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त [illegible] खतौनी संख्या [illegible] के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस विक्रय अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के

-शेष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 055064

मालिक, काबिज व काश्तकार है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस बैनामे से पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उल्लेखित भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है न ही

क्रमशः

कुआँ इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 3,80,440/- (रू0 तीन लाख अस्सी हजार चार सौ चालीस मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमे से बतौर अग्रिम धनराशि रू0 3,75,440/- (रू0 तीन लाख पचहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कराकर द्वितीय पक्ष के पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर घोषित होने के बाद तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीला हवाली या इन्कार नहीं करेगा तथा शेष बकाया धनराशि रू0 5,000/-(रू0 पाँच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यदि प्रथम पक्ष अपनी उक्त भूमि पर संक्रमणीय भूमिधर नहीं दर्ज करा पाता तो द्वितीय पक्ष को मय हर्जा खर्चा समस्त नुकसान ब्याज सहित वापस करेगा। द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम

—क्रमशः

पक्ष या उसके वारिसान की अन्य किसी भूमि से अपना नुकसान वसूल कर लें।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

यह कि अब उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान स्थानापन्न इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान स्थानापन्न इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से बजरिये अदालत वसूल कर लें। इस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है। यदि भविष्य में उक्त भूमि का अधिग्रहण सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है तो मुआवजा व अन्य लाभ पाने का अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

[illegible]

Registration No. 4577 Year 2013 Book No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम भरौना अर्न्तनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू० 22,50,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.190 है0 की मालियत रू० 4,27,500/– होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू० 30,100/– अनवरत स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट भुगतान विवरण

प्रथम पक्ष को 3,75,440/– (रू0 तीन लाख तीन लाख पचहत्तर हजार चार सौ चालीस मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।

लखनऊ

दिनांक : 02.04.2011

गवाह :

1.

2.

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

(सत्येन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विनय रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ

विक्रय अनुबंध विलेख (प्रथम)

[illegible]	427,500.00	272,440.00	7,820.00	20	7,840.00	1,000
प्रस्तुतकर्ता	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

व्यवसाय कृषि

निवासी [illegible]

[illegible] 4/4/2011 [illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. त्रिवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
4/4/2011

[illegible]

विक्रेता

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]
[illegible] लखनऊ

क्रेता

श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible]

[illegible]
[illegible] श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

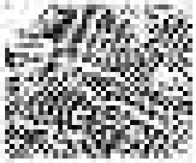

[illegible] श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] लखनऊ

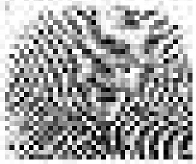

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. त्रिवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
4/4/2011

नक्शा नजरी

भूमि [illegible] आराजी खसरा नं० [illegible] स्थित ग्राम [illegible]
परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला लखनऊ।

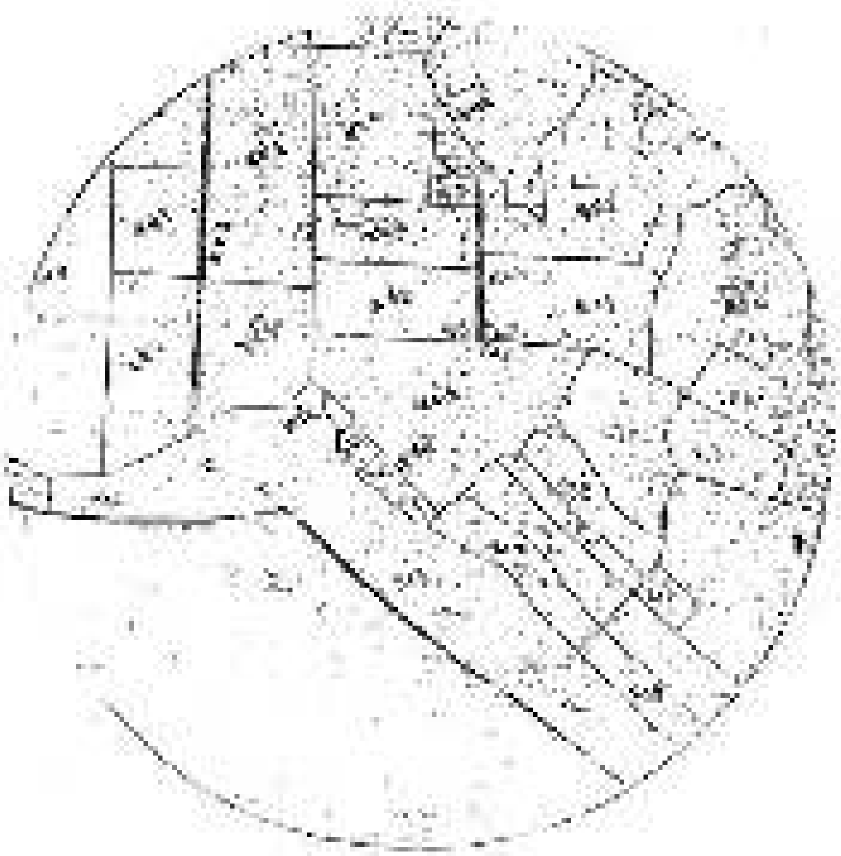

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

क्रेता

Registration No.: 4577 Year: 2,011 Book No.: 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

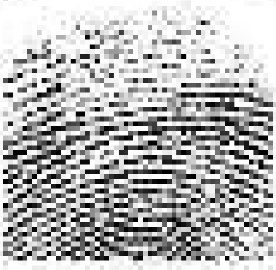

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता– अम्बिका पुत्र रेवाराम निवासी– आलमखेड़ा, मजरा बरौना परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, वर्तमान पता अमरपुर एमवान, तहसील व जिला लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

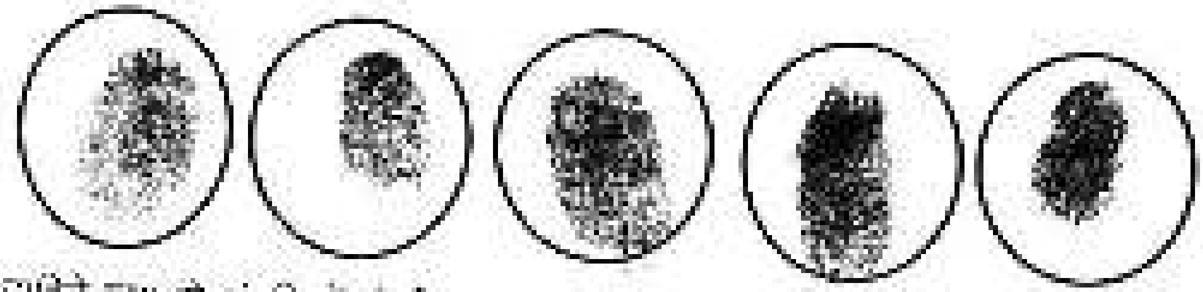

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

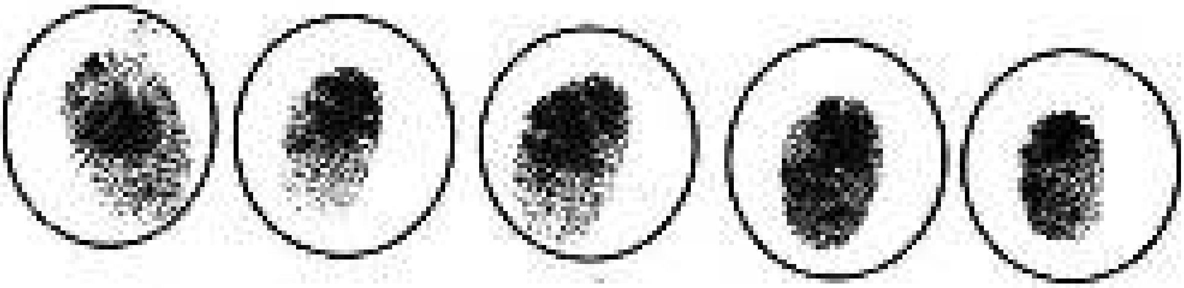

अम्बिका

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता– बाबूलाल पुत्र मानसी निवासी ग्राम– पुरे मिश्री, सिरौली, जिला रायबरेली

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह–

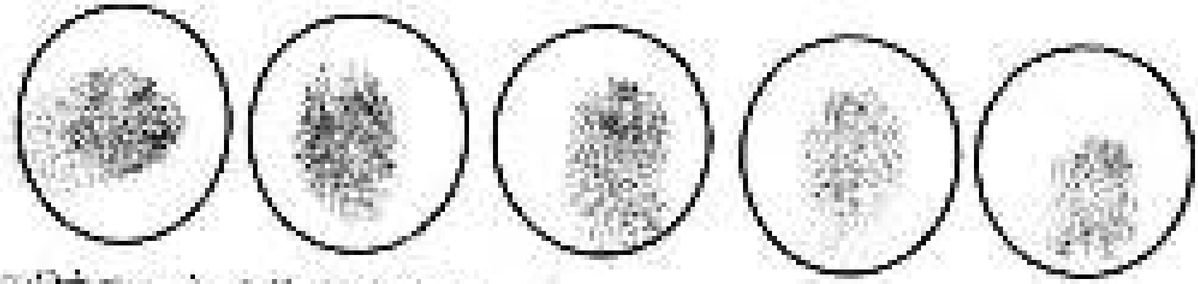

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

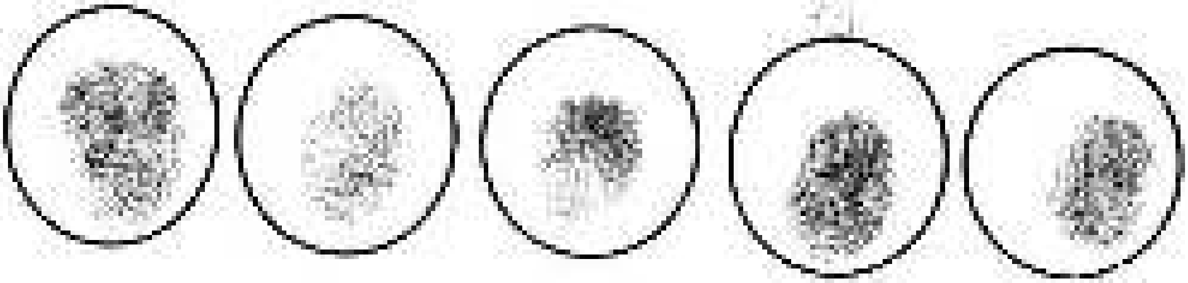

बाबूलाल

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/04/2011 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 12599

पृष्ठ सं. 359 से 382 पर क्रमांक 4577

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. त्रिपाठी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]